सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 3 अगस्त, 2010)

छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम दिवस है। 26 जुलाई, 2010 से 3 अगस्त, 2010 तक के इस सात दिवसीय सत्र के समापन अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिये सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं आप सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

इन सात दिवसीय बैठकों में संसदीय परम्पराओं को आत्मसात करते हुये माननीय सदस्यों ने जनहित से जुड़े विषयों को प्रक्रियाओं के अंतर्गत सभा में उठाकर न केवल शासन का ध्यान आकर्षित किया अपितु अपने सुझाव देकर विचार–विमर्श के इस सर्वोच्च मंच की सार्थकता को सिद्ध किया ।

लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं अपितु एक जीवन शैली है और लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली का भविष्य संसदीय सदनों में माननीय सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर निर्भर करता है । छत्तीसगढ़ की विधान सभा पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहॉ पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के मध्य लोक–कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने एवं उसके क्रियान्वयन के स्वरूप पर वैचारिक मतभेद भले ही प्रतीत होते हो, पर मनभेद का दुर्बल पक्ष इस सभा में कभी भी परिलक्षित नहीं होता और यही संसदीय प्रणाली का मूल तत्व है । मैं पक्ष एवं विपक्ष की इस उत्कृष्ट संसदीय संस्कृति की मुक्त कण्ठ से सराहना करता हूँ ।

यद्यपि इस नौ दिवसीय सत्र में कुल सात बैठकें निर्धारित थीं किन्तु माननीय सदस्यों ने पूरे नौ दिन संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में परिमार्जन का कार्य किया । इस सत्र के दौरान शनिवार, दिनांक 31 जुलाई, 2010 एवं रविवार, दिनांक 1 अगस्त, 2010 को शासन की संस्था चिप्स के सहयोग से माननीय सदस्यों के लिये कम्प्यूटर के तकनीकी ज्ञान को संवर्धित करने के उद्‌देश्य से दो दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय सदस्यों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया । यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुये और निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता को उन्होंने प्रतिपादित किया । श्री बोधराम कॅवर जैसे इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी कम्प्यूटर के तकनीकी ज्ञान अर्जन के प्रति अपनी रूचि दिखाते हुये सम्मिलित हुये, कुल लगभग 35 सदस्यों ने जिसमें माननीय मंत्रिगण भी सम्मिलित हैं, इस दो दिवसीय प्रशिक्षण का लाभ उठाया । मैं इस अवसर पर प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ और जो माननीय सदस्य अन्यान्य कारणों से इस प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो सकें, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगामी समय में विधान सभा सचिवालय के द्वारा आयोजित किये जाने वाले इसी प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनार, संगोष्ठियों आदि में अवश्य रूप से उपस्थित होने का प्रयास करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि वर्तमान परिवेश के जितने नजदीक रहेंगे, कार्यशैली में भी उतना ही बदलाव आयेगा । मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि **''दिया गया दान, किया गया काम और अर्जित**

ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता'' उसके प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है ।

इस सत्र के प्रथम दिवस दिनांक 26 जुलाई को ''**छत्तीसगढ़ में कुपोषण उन्मुक्ति**'' विषय पर केन्द्रित परिसंवाद आयोजित किया गया । परिसंवाद में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सदस्यों को जहॉ राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारियॉ विस्तार से दीं, वही यूनिसेफ ने कुपोषण से उन्मुक्ति विषय पर विश्लेषित जानकारियों के साथ कुपोषण से उन्मुक्ति के प्रयास किस प्रकार से किये जाये ? भी विस्तार से बताया । यह कार्यक्रम यूनिसेफ की छत्तीसगढ़ शाखा के द्वारा आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित आप सभी माननीय सदस्य उपस्थित हुये और मुझे विश्वास है कि इस परिसंवाद का लाभ कुपोषण से उन्मुक्ति की विभिन्न योजनाओं में आप सबकी भागीदारी से और अधिक मजबूत होगा ।

यह पावस सत्र एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिये भी सदैव स्मरण किया जायेगा । इस सत्र में दिनांक 2 अगस्त, 2010 को आप सबने इस सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया और माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुये । पीठासीन अधिकारियों पर सभा के संचालन की महती जिम्मेदारी होती है । श्री नारायण चंदेल इस सभा के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य हैं । आप सबने सभापति के रूप में उन्हें सभा की कार्यवाही का संचालन करते देखा है और आसंदी पर सदैव अपना विश्वास व्यक्त किया है । उनके उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर मैं इस अवसर पर एक बार पुनः अपनी ओर से और इस सभा की ओर से उन्हें बधाई देता हूॅ ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा ने देश में इस बात के लिये ख्याति प्राप्त की है कि इस सभा में सदस्यों ने सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयं निलम्बित जैसा स्व–संयम बरतने का विरला नियम नियमावली में सम्मिलित किया है और इस नियम का पालन करने का उदाहरण भी । मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि अन्य विधान मण्डल भी वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार का नियम नियमावली में सम्मिलित करने के संबंध में विचार कर रहे हैं ।

वर्तमान सत्र में दिनांक 27 जुलाई, 2010 को प्रश्नकाल बाधित हुआ । प्रतिपक्ष के सदस्य उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल स्थगित करते हुये चर्चा आरंभ करना चाहते थे । मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूॅ कि प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, जब मंत्रि परिषद के सदस्यों को माननीय सदस्यों के प्रश्नों का न केवल सामना करना पड़ता है अपितु प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है । संसदीय कार्यों के ऊपर जब राजनीतिक कार्य हावी होते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है किन्तु छत्तीसगढ़ विधान सभा में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमेशा संसदीय कार्यों के ऊपर राजनीतिक कार्य हावी न होने पाये, की भावना अभिव्यक्त की है । प्रश्नकाल बाधित न हो, इस संबंध में संसद सहित समस्त विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारी के मध्य विचार–मंथन चल रहा है । मेरा समस्त माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि वे इस

बारे में विचार करें कि क्या छत्तीसगढ़ विधान सभा इस संबंध में भी कोई निर्णय लेकर देश के समस्त विधान मण्डलों के समक्ष संसदीय मर्यादा, संसदीय संस्कृति एवं संसदीय प्रक्रियाओं के संरक्षण में अग्रणी होने का एक और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं ?

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 250 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

यद्यपि यह लघु सत्र था किन्तु सदस्यों ने जागरूक रहते हुये अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से किया और प्रत्येक विषय जो जन–कल्याण और विकास से सहमत है, को विभिन्न माध्यमों से सभा में उठाया और प्रत्येक विषय पर चर्चा की ।

अब मैं इस लघु सत्र में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपका अवगत कराना चाहूँगा ।

इस पावस सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 7 कार्य दिवसों में कुल 34 घंटे से अधिक चर्चा हुई। इस सत्र में 689 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से ग्राह्य तारांकित प्रश्न 249 रहे तथा 51 प्रश्नों पर चर्चा हुई। इस प्रकार मौखिक प्रश्नों का औसत 10.2 प्रश्न का रहा । अर्थात प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने अधिकाधिक लाभ उठाया। जैसा कि मैने आपकों पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 1 सूचना पर चर्चा हुई।

इस सत्र में 9 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 3 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये उनमें से 2 संकल्प स्वीकृत हुए एवं 1 संकल्प व्यपगत हुआ । इस सत्र में एक शासकीय संकल्प भी लाया गया जो स्वीकृत हुआ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तौला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन–भावना, जन–कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से स्थगन प्रस्ताव की एक ही विषय पर प्राप्त 42 सूचनायें ग्राह्य कर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 5 रही तथा 4 सूचनाएं ध्यानाकर्षण में परिवर्तित की गई । इस सत्र में शून्यकाल की 102 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 67 सूचनाएं ग्राह्य व 35 सूचनाएं अग्राह्य रही।

तृतीय विधानसभा के इस चतुर्थ सत्र में कुल 334 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 91 सूचनाएं ग्राह्य व 195 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 48 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित हुई । इस सत्र में कुल 8 विधेयक लाए गए और सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में कुल 6 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वही 2 याचिकाएं भी सदन के पटल पर

रखी गई एवं विभिन्न समितियों के 17 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों को पुर्नस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ, जिसमें 4 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये ।

सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का भी अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में उपयोग किया तथा सभा के कार्य के संबंध में माननीय सदस्यों को पुस्तकालय से विभिन्न विषयों पर साहित्य एवं संदर्भ सामग्री भी उपलब्ध करायी गई ।

मैं इस अवसर पर सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रकुल संसदीय संघ का इंडिया एवं एशिया रीजन का सम्मेलन 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 2010 की अवधि में छत्तीसगढ़ में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह सम्मेलन विधान सभा भवन में ही आयोजित है । इस सम्मेलन में भारत सहित एशिया के अन्य राष्ट्रकुल संसदीय संघ के सदस्य देशों के पीठासीन अधिकारी एवं राष्ट्रकुल संसदीय संघ के पदाधिकारीगण हिस्सा लेंगे । यह एक अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन होगा। इस सम्मेलन में आप सबका सहयोग एवं सहभागिता का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ । मुझे विश्वास है माननीय सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन से यह सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित होगा ।

मैं इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हे भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधानसभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के प्रतिनिधियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभा की कार्यवाही को हुबहू रूप में जन–जन तक पहुँचाने में उनकी भूमिका की सराहना करता हूँ ।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आव्हान करना चाहता हूं कि आइए छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

जय – हिन्द ! जय – भारत ! जय – छत्तीसगढ़ !